समक्ष– माननीय न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ग्वालियर, कैम्प भोपाल (म.प्र.)

रा.रि. क्र. 272 /2015

निगरानी - 272 - PBR - 15

गजानन्द व गेन्दू पवांर उम्र 45 वर्ष जाति पंवार
पेशा नौकरी (एस. एफ पुलिस) निवासी विवेकानन्द वार्ड
कालापाठा बैतूल तह. जिला बैतूल

..... रिविजनकर्ता

बनाम

श्रीमति ताराबाई पत्नि छोटेलाल वर्मा
निवासी टिकारी तह. जिला बैतूल (म.प्र.)

..... गैर रिविजनकर्ता

रिविजन अर्न्तगत धारा 50 म. प्र. भु. रा. संहिता 1959

रिविजन विरुद्ध..... माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय बैतूल द्वारा रा. प्र. क्र. 3/अ–12 वर्ष 2012–13 में पारित सीमांकन आदेश दिनॉक 20.10.2012 के अनुपालन में हुये सीमांकन दिनॉक 21.12.2012 एवं 22.12.12 से दुखित होकर तथा संबंधित सीमांकन की जानकारी रिविजनकर्ता को दिनॉक 01.04.2013 को होने के पश्चात् प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर यह रिविजन प्रस्तुत कि जा रही है। क्योंकि संबंधित सीमांकन की कोई सूचना इस रिविजनकर्ता को नही रही हैं ऐसी परस्थिति में परिसीमा की संगणना सीमांकन होने की जानकारी दि. 01.04.13 को हुई रिविजनकर्ता द्वारा न्यायाब तहसीलदार बैतूल द्वारा पारित आदेश के रिविजन सदभावना से माननीय न्यायालय कलेक्टर महोदय बैतूल को दिनांक 26.04.13 को संस्थापित की थी जो दिनांक 13.11.14 को अधिकारीता के अभाव में म.प्र. भू राजस्व संहिता संसोधन अधिनियम 2011 के अनुसार धारा 50(1) में स्थापित नियम के अनुसार रिविजन पर सूनवाई की अधिकारीता माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. को होने से अर्थात अधिकारीता के अभाव में रिविजनकर्ता की रिविजन निरस्त की गई। इसलिये यह रिविजन श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ हैं। रिविजनकर्ता द्वारा सावधानीवश पृथक से म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा 47 सहपठित धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 272–पीबीआर/15 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–5–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन सहित अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से सीमाकंन दिनांक 21–12–2012 एवं 22–12–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 28–1–15 को लगभग 2 वर्ष से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है । अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवेदक को सीमाकंन की सूचना नहीं देना एवं त्रुटिवश निगरानी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना दर्शाया गया है । आवेदक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उसे सीमाकंन की कोई सूचना नहीं दी गई, जब दिनांक 1–4–2013 को उसकी पत्नी रेखा पवार खसरा किश्त बंदी खतोनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये तहसील कार्यालय बैतूल पहूँची तब सीमाकंन की जानकारी हुई और तत्पश्चात उसके द्वारा सीमाकंन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर दिनांक 24–4–2013 को कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी गई और कलेक्टर द्वारा दिनांक 13–11–2014 को आदेश पारित कर क्षेत्राधिकार नहीं होने से निगरानी निरस्त की गई । आवेदक की ओर से दर्शाया गया विलंब का कारण समाधानकारक नहीं है, क्योंकि सीमाकंन के समय आवेदक की पत्नी रेखा पवार उपस्थित हुई है और उसके द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये है । अतः यह मान्य योग्य नहीं है कि सीमाकंन की विधिवत सूचना आवेदक को नहीं दी जाकर उसके पीठ पीछे सीमाकंन किया गया है । इस प्रकार प्रकरण में हुये विलंब से कलेक्टर के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने का समय कम करने पर भी निगरानी इस न्यायालय	

में विलंब से प्रस्तुत किया जाना स्पष्टतः परिलक्षित होता है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य मान्य की जाती है । इसके अतिरिक्त अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–3–2013 को सीमाकंन आदेश पारित किया गया है और आवेदक द्वारा सीमाकंन आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत नहीं कर सीमाकंन पंचनामा दिनांक 21–12–2012 एवं 22–12–2012 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । जहां तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है सीमाकंन कार्यवाही में आवेदक की पत्नी रेखा पवार उपस्थित हुई है और उसके समक्ष ही सीमाकंन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि अनावेदक की भूमि पर आवेदक का कब्जा नहीं है तब वह अपनी भूमि का सीमाकंन करा कर स्थिति स्पष्ट कर सकता है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष